न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. : 206 GCms:-2018/00224 दायर दिनांक : 14.12.2018

बसन्तसिंह पुत्र सतनामसिंह जाति जटसिख निवासी गुरूसर मोडिया तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.) —वादी

बनाम

1. सतनामसिंह पुत्र कश्मीरसिंह जाति जटसिख निवासी गुरूसर मोडिया तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
2. जसविन्द्रकौर पत्नी सतनामसिंह जाति जटसिख निवासी गुरूसर मोडिया तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
3. राजप्रीतकौर पत्नी हरदीपसिंह पुत्री सतनामसिंह जाति जटसिख निवासी सूरेवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़
4. गुरदीपकौर पत्नी कश्मीरसिंह जाति जटसिख निवासी गुरूसर मोडिया तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
5. ठाणासिंह पुत्र कश्मीरसिंह जाति जटसिख निवासी गुरूसर मोडिया तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
6. भूमिधारी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़

—प्रतिवादीगण

वाद—पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :
1. श्री भगवान दत्त शर्मा, अभिभाषक वादी
2. पैरोकार राज नायब तहसीलदार, सूरतगढ़

निर्णय

दिनांक :03/09/2020

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अभिभाषक वादी उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण के, संक्षेप में, तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर कथन किया कि मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2070 ता 73 चक 30 एम.ओ.डी. तहसील सूरतगढ़ के खाता सं. 6/7 में अंकित पत्थर नं. 19/268 (29) के

क्रमशः ..... पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 16:05:31 IST
Reason: SelfAttested

किला नं. 1 ता 25 = 6.325 है0 (6.135 है0 नहरी व 0.190 है0 गै.मु. रास्ता) भूमि में से प्रतिवादी सं. 1 के नाम अंकित 2.657 है0 भूमि में से 3/4 हिस्सा का वादी को खातेदार इस आधार पर घोषित किया जावे कि यह भूमि सहदायी है, प्रतिवादीगण सं. 2 व 3 ने अपना हिस्सा वादी के पक्ष में छोड़ दिया है, इसलिए उनका हिस्सा मिलाते हुए वादी को 3/4 हिस्सा का खातेदार घोषित कर खाता विभाजन किया जाने का निवेदन किया।

वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बावजूद सूचना प्रतिवादीगण सं. 1 ता 6 उपस्थित नहीं आये, इसलिए उनके खिलाफ इकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। इस मामले में किसी भी प्रतिवादी द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया, इसलिए इकतरफा कार्यवाही करते हुए साक्ष्य वादी प्राप्त कर तर्क सुने गये।

विद्वान अभिभाषक वादी ने वाद–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जमाबन्दी का अवलोकन करवाया व वादग्रस्त सम्पत्ति प्रतिवादी सं. 1 को पिता से प्राप्त होना बताते हुए, प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 को मिलाते हुए भूमि में 1/4 हिस्सा प्रत्येक हिस्सेदार का होना सिद्ध किया व माता व बहिन द्वारा वादी के पक्ष में अपना हिस्सा छोड़ने का कथन कर, प्रतिवादी सं. 1 के नाम अंकित भूमि में स्वयं का 3/4 हिस्सा बताते हुए, वाद को पूर्ण रूप से सिद्ध होने का कथन कर, वाद स्वीकार कर डिक्री करने की प्रार्थना की।

पैरोकार राज ने न तो पूर्व में जवाब दिया और न ही आज विपरीत कथन किया है।

अभिभाषक वादी के तर्क सुनने के पश्चात् तर्कों के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध जमाबन्दी के अवलोकन से सिद्ध होता है कि प्रतिवादी सं. 1 को वादग्रस्त सम्पत्ति पिता से प्राप्त हुई है व पैतृक सहदायी की परिभाषा में आती है, किन्तु अन्य सहदायी सदस्यों की अनुपस्थिति में उनके विरुद्ध किसी प्रकार का आदेश पारित करना उचित प्रतीत नहीं होता। वादी ने माता व बहिन द्वारा दस्तबरदारी के माध्यम से वादग्रस्त भूमि में अपना

क्रमशः ..... पेज 3 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 16:05:31 IST
Reason: SelfAttested

हक वादी के पक्ष में छोड़ने का साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया। वादी को सहदायी सम्पत्ति में उसके हिस्से तक ही खातेदार घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार वाद वादी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है व चक 30 एम.ओ.डी. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2070 ता 73 के खाता सं. 6/7 में अंकित पत्थर नं. 19/268 (29) के किला नं. 1 ता 25 = 6.325 है0 (6.135 है0 नहरी व 0.190 है0 गै.मु. रास्ता) भूमि में से प्रतिवादी सं. 1 के नाम अंकित 2.657 है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि का वादी बसन्तसिंह पुत्र सतनामसिंह जाति जटसिख निवासी गुरूसर मोडिया तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। घोषणा के फलस्वरूप तहसीलदार सूरतगढ़ को चक 30 एम.ओ.डी. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2070 ता 73 के खाता सं. 6/7 में अंकित पत्थर नं. 19/268 (29) के किला नं. 1 ता 25 = 6.325 है0 (6.135 है0 नहरी व 0.190 है0 गै.मु. रास्ता) भूमि में से प्रतिवादी सं. 1 सतनामसिंह पुत्र कश्मीरसिंह के नाम अंकित 2.657 है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम से कलमजन कर, वादी बसन्तसिंह पुत्र सतनामसिंह जाति जटसिख निवासी गुरूसर मोडिया तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर के नाम बतौर खातेदार अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। बाद अंकन उक्त कुल खाता को विभाजित कर विभाजन नियमों के अनुसार खाता विभाजन वादी का घोषणानुसार प्रतिवादी सं. 1 सतनामसिंह पुत्र कश्मीरसिंह के नाम अंकित 2.657 है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि का अलग करने हेतु तहसीलदार सूरतगढ़ से प्रस्ताव मंगवाया जावे। इसी अनुसार प्राथमिक डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद आने प्रस्ताव खाता विभाजन वादी के प्रार्थना-पत्र पर पुनः पेशी में ली जावे, तब तक पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03/09/2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 16:05:31 IST
Reason: SelfAttested

(आ0 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

प्राथमिक डिक्री बमुकद्दम इब्तदाई

अज अदालत – **सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर**
बइजलास – **मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.**

अनवान :–

बसन्तसिंह पुत्र सतनामसिंह जाति जटसिख निवासी गुरूसर मोडिया तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.) **–वादी**

बनाम

1. **सतनामसिंह पुत्र कश्मीरसिंह** } **जाति जटसिख निवासी गुरूसर मोडिया**
2. **जसविन्द्रकौर पत्नी सतनामसिंह** } **तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर**
3. **राजप्रीतकौर पत्नी हरदीपसिंह पुत्री सतनामसिंह जाति जटसिख निवासी सूरेवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़**
4. **गुरदीपकौर पत्नी कश्मीरसिंह** } **जाति जटसिख निवासी गुरूसर मोडिया**
5. **ठाणासिंह पुत्र कश्मीरसिंह** } **तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर**
6. **भूमिधारी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़**

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत 53, 88 व 209 आर.टी.ए. मुकदमा नं. 206 वर्ष 2018 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर **अभिभाषकगण वादी श्री भगवान दत्त शर्मा एवं पैरोकार राज नायब तहसीलदार, सूरतगढ़** के पेश होने पर हुक्म दिया जाता है।

वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर, निम्न प्रकार से **प्राथमिक डिक्री** जारी कर, आदेश प्रदान किये जाते हैं :

चक 30 एम.ओ.डी. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2070 ता 73 के खाता सं. 6/7 में अंकित पत्थर नं. 19/268 (29) के किला नं. 1 ता 25 = 6.325 है0 (6.135 है0 नहरी व 0.190 है0 गै.मु. रास्ता) भूमि में से प्रतिवादी सं. 1 के नाम अंकित 2.657 है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि का वादी बसन्तसिंह पुत्र सतनामसिंह जाति जटसिख निवासी गुरूसर मोडिया तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। घोषणा के फलस्वरूप तहसीलदार सूरतगढ़ को चक 30 एम.ओ.डी. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2070 ता 73 के खाता सं. 6/7 में अंकित पत्थर नं. 19/268 (29) के किला नं. 1 ता 25 = 6.325 है0 (6.135 है0 नहरी व 0.190 है0 गै.मु. रास्ता) भूमि में से प्रतिवादी सं. 1 सतनामसिंह पुत्र कश्मीरसिंह के नाम अंकित 2.657 है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम से कलमजन कर, वादी बसन्तसिंह पुत्र सतनामसिंह जाति जटसिख निवासी गुरूसर मोडिया तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर के नाम बतौर खातेदार अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। बाद अंकन उक्त कुल खाता को विभाजित कर विभाजन नियमों के अनुसार खाता विभाजन वादी का घोषणानुसार प्रतिवादी सं. 1 सतनामसिंह पुत्र कश्मीरसिंह के नाम अंकित 2.657 है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि का अलग करने हेतु तहसीलदार सूरतगढ़ से प्रस्ताव मंगवाये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

नोज ....×......... मुबलिंग ....×......... बाबत ....×.......... खर्चा इस मुकदमे में मय सूद बशरह ....×............. फसदों की पालना ....×...........आज की तारीख से तारीख वसूल्या वो तक की अदा करें।

बसिव्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 02/9/2020 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 16:05:31 IST
Reason: SelfAttested